आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम पौर उत्तर के खाता सं. 231 खसरा नं. —— में आवेदन पत्र अनुसार जाति स्वर्णकार के बजाय सत्यनारायण सोनी पुत्र जगदीश प्रसाद सोनी [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चत करें। आदेश केम्प न्यायालय ग्राम पंचायत पौर उत्तर में दिनांक 26/09/25 को मजमेआम में सुनाया गया।

26/9/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी